

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 33/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

### खेताराम वगैरा बनाम अमराराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील - श्री जगदीश पोटलिया

**निर्णय**

**दिनांक - 01.06.2018**

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प नवातला बाखासर में पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा रामदेरिया पश्चिम, पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 333/122 रकबा 05.15 बीघा, खसरा सं. 335/122 रकबा 26.16 बीघा, खसरा सं. 96 रकबा 18.18 बीघा, खसरा सं. 516/1 रकबा 01.15 बीघा, खसरा सं. 520/122 रकबा 11.19 बीघा, खसरा सं. 517/96 रकबा 20.13 बीघा, खसरा सं. 521/122 रकबा 11.18 बीघा, खसरा सं. 269/1 रकबा 20.13 बीघा, खसरा सं. 280/3 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 519/122 रकबा 11.14 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा रामदेरिया पश्चिम, पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 333/122 रकबा 05.15 बीघा, खसरा सं. 335/122 रकबा 26.16 बीघा, खसरा सं. 96 रकबा 18.18 बीघा, खसरा सं. 516/1 रकबा 01.15 बीघा, खसरा सं. 520/122 रकबा 11.19 बीघा, खसरा सं. 517/96 रकबा 20.13 बीघा, खसरा सं. 521/122 रकबा 11.18 बीघा, खसरा सं. 269/1 रकबा 20.13 बीघा, खसरा सं. 280/3 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 519/122 रकबा 11.14 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे

तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसराओं की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प नवातला बाखासर में सुनाया गया।



(भूपेन्द्र कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर**

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1280

प्रार्थीगण :-

1. खेताराम पुत्र खुमाराम  
एवं प्रार्थी सं. 2 से 12  
जाति जाट, निवासी भाडा  
तहसील सेड़वा।

दिनांक 4.6.18

विप्रार्थीगण:-

1. अमराराम पुत्र भूराराम एवं  
विप्रार्थी सं. 2 से 14  
जाति जाट, निवासी भाडा  
तहसील सेड़वा

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।**

राजस्व आवेदन सं. 33/2018

दिनांक : 01.06.2018

**आदेश**

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा, पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर के मौजा रामदेरिया पश्चिम के खेत खसरा सं. 333/122 रकबा 05.15 बीघा, खसरा सं. 335/122 रकबा 26.16 बीघा, खसरा सं. 96 रकबा 18.18 बीघा, खसरा सं. 516/1 रकबा 01.15 बीघा, खसरा सं. 520/122 रकबा 11.19 बीघा, खसरा सं. 517/96 रकबा 20.13 बीघा, खसरा सं. 521/122 रकबा 11.18 बीघा, खसरा सं. 269/1 रकबा 20.13 बीघा, खसरा सं. 280/3 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 519/122 रकबा 11.14 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काशत में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

कमिशनर फीश प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2018/ 1280-84

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सेड़वा
2. प्रार्थीगण खेताराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण अमराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चोहटन/बीजराड़/सेड़वा/धौरीमन्ना/बाखासर

(भूपेन्द्र कुमार यादव)

उपखण्ड अधिकारी, चोहटन

दिनांक 4.6.18

उपखण्ड अधिकारी

चोहटन